

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर व जौनपुर में प्रभावित होने वाले कुल 49.92276 हे० संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क बनीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 100 हे० क्षेत्र का चयन किया गया है, क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	रेज का नाम	ब्लाक एवं कम्पार्टमेंट का नाम	शुद्ध क्षेत्रफल (हे०में)
1	2	3	5
1	ओबरा	बकिया-4	10
2	ओबरा	परसोई-8 व	10
3	जुगैल	अगोरी-3	10
4	जुगैल	अगोरी- 3 अ	10
5	जुगैल	पंशीला-3	10
6	डाला	हथवानी-11	10
7	डाला	रानीताली-2 अ	10
8	डाला	रानीताली-2 ब	10
9	डाला	बसुधा-3	10
10	कोन	माईधिया-9	10
योग:-			100

उपरोक्त क्षेत्र वृक्षरोपण हेतु उपयुक्त है। प्रश्नगत क्षेत्र का जियोरिफरेन्सड मानचित्र व सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर व जौनपुर में प्रभावित होने वाले कुल 49.92276 हे० संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दृग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 100 हे० क्षेत्र का चयन किया गया था, उक्त क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा डी०एस०एस० एनालिसिस कराने के उपरान्त अपने पत्र दिनांक -04.02.2022 द्वारा उक्त क्षेत्र में से 20 हे० क्षेत्र को वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त होने का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम में पुनः 20 हे० क्षेत्र चयनित किया गया है, चयनित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	रेंज का नाम	ब्लाक एवं कम्पार्टमेंट का नाम	शुद्ध क्षेत्रफल (हे०में)
1	2	3	5
1	ओबरा	सेमादह-4ब	10
2	ओबरा	पूर्वी अमरसोता 5 द	10
योग:-			20

उपरोक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। प्रश्नगत क्षेत्र का जियोरिफरेन्सड मानचित्र व सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट संलग्न है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
ओबरा रेंज।


प्रभागीय वन अधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।